



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237616
CG-DL-E-28072022-237616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3246]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3246]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3408(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले में 60/650-73/2 कि.मी. में पक्की शोल्डर के साथ टू लेन से फोर लेन तक चौड़ीकरण तथा किमी. 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6 में सुदृढीकरण-70/0, 71/2-71/450 और 71/750 -73/2 और केवल वेयरिंग का कोर्स कि.मी. 61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6 , 70/0-71/2 छोटे पुलों का चौड़ीकरण, कि.मी. 64/2 पर अतिरिक्त पुल का निर्माण, पुलियों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण, मुसिरी-नमक्कल रोड (एनएच 381 बी) में निर्मित क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल और ड्रेन का निर्माण उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH381B पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	डिस्ट्रिक्ट रेवन्यू आफिसर, नमक्कल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH381B के कि.मी. 62.9 से 67.957 तक	तमिलनाडु	नमक्कल						
					नमक्कल	<table><tr><td>1</td><td>एम. मेट्टुपट्टी</td></tr><tr><td>2</td><td>एन. पुदुपट्टी</td></tr></table>	1	एम. मेट्टुपट्टी	2	एन. पुदुपट्टी
						1	एम. मेट्टुपट्टी			
2	एन. पुदुपट्टी									

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-381B/43/AP/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3408(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Widening from two lane to four lane with paved shoulder in Km. 60/650-73/2 and strengthening in Km. 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6-70/0, 71/2-71/450 and 71/750 -73/2 and only wearing course at Km.61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6, 70/0-71/2 including widening of minor bridges, construction of additional bridge at Km.64/2, widening and reconstruction of culverts, construction of retaining walls and drain in built up areas in Musiri-Namakkal road (NH 381B) in the state of Tamil Nadu.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH381B in the State of TAMIL NADU.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Namakkal	62.9 Km. To 67.957Km.	TAMIL NADU	NAMAKKAL	Namakkal	1 M. Mettupatty
						2 N. Pudupatty

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-381B/43/AP/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director